

भारतीय संविधान का निर्माण

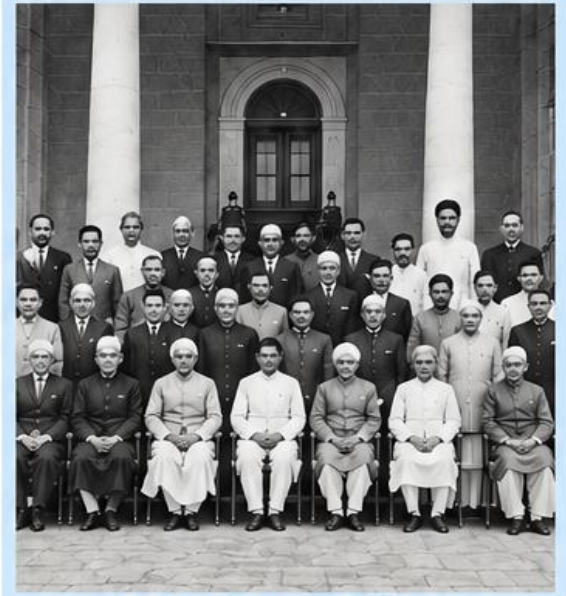
1 संविधान सभा (Constituent Assembly)



संविधान सभा की अवधारणा सबसे पहले **एम.एन. रॉय ने 1934** में प्रस्तुत की थी। इसे **कैबिनेट मिशन योजना, 1946** के तहत लागू किया गया।

गठन (Formation)

बिंदु	विवरण
गठन	कैबिनेट मिशन योजना, 1946
प्रारंभिक शक्ति (सदस्य संख्या)	389 सदस्य
ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से सदस्य	296
देशी रियासतों से सदस्य	93
चुनाव की पद्धति	अप्रत्यक्ष चुनाव
प्रथम बैठक	9 दिसंबर 1946
अस्थायी अध्यक्ष	डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा
स्थायी अध्यक्ष	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
उपाध्यक्ष	एच.सी. मुखर्जी
संवैधानिक सलाहकार	बी.एन. राव



संविधान सभा के सदस्य



विभाजन के बाद: संविधान सभा की शक्ति **389** से घटकर **299** रह गई।



महत्वपूर्ण घटनाक्रम

- 9 दिसंबर 1946** संविधान सभा की प्रथम बैठक
- 13 दिसंबर 1946** नेहरू ने **उद्देश्यों प्रस्ताव** प्रस्तुत किया
- 22 जनवरी 1947** उद्देश्या प्रस्ताव अपनाया गया
- 29 अगस्त 1947** प्रारूप समिति का गठन
- 4 नवंबर 1948** प्रारूप संविधान प्रस्तुत किया गया
- 26 नवंबर 1949** संविधान को अपनाया गया
- 24 जनवरी 1950** संविधान पर हस्ताक्षर किए गए
- 26 जनवरी 1950** संविधान लागू हुआ



26 जनवरी ही क्यों?

26 जनवरी 1930 के **पूर्ण स्वराज्य घोषणा** (पूर्ण स्वतंत्रता दिवस) की स्मृति में इस दिन को चुना गया, ताकि उस ऐतिहासिक संकल्प को सम्मान दिया जा सके।

2 संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ

समिति	अध्यक्ष
प्रारूप समिति	डॉ. बी.आर. आंबेडकर
संघ शक्तियाँ समिति	जवाहरलाल नेहरू
संघ संविधान समिति	जवाहरलाल नेहरू
प्रांतीय संविधान समिति	सरदार वल्लभभाई पटेल
मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक तथा जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों संबंधी परामर्शदात्री समिति	सरदार वल्लभभाई पटेल
कार्य-प्रणाली नियम समिति	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
संचालन समिति	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
वित्त एवं कर्मचारी समिति	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

प्रारूप समिति (Drafting Committee)	प्रमुख व्यक्तित्व (Key Personalities)
 गठन: 29 अगस्त 1947	एम.एन. रॉय → संविधान सभा का विचार दिया
 अध्यक्ष: डॉ. बी.आर. आंबेडकर	जवाहरलाल नेहरू → उद्देश्य प्रस्ताव
 मुख्य कार्य: प्रारूप संविधान तैयार करना और प्रस्तुत करना।	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद → संविधान सभा के अध्यक्ष
	डॉ. बी.आर.आंबेडकर → प्रारूप समिति के अध्यक्ष
	बी.एन. राव → संवैधानिक सलाहकार

3 भारतीय संविधान के स्रोत

स्रोत	मुख्य विशेषताएँ
 भारत सरकार अधिनियम, 1935	संघीय ढाँचा, राज्यपाल, लोक सेवा आयोग
 ब्रिटेन (UK)	संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, एकल नागरिकता
 अमेरिका (USA)	मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, स्वतंत्र न्यायपालिका
 आयरलैंड	राज्य के नीति निदेशक तत्व
 कनाडा	मजबूत केन्द्र, अवशिष्ट शक्तियाँ
 ऑस्ट्रेलिया	समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक
 जर्मनी	आपातकालीन प्रावधान
 USSR/रूस	मौलिक कर्तव्य
 फ्रांस	स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व
 दक्षिण अफ्रीका	संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया
 जापान	विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया



परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण बिंदु

भारत सरकार अधिनियम, 1935 भारतीय संविधान के कई प्रशासनिक और संवैधानिक प्रावधानों का प्रमुख स्रोत था।

4.

भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ



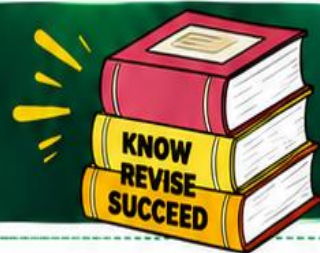
- लिखित एवं विस्तृत संविधान
- संपण, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य
- संसदीय शासन प्रणाली
- मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था
- मौलिक अधिकार
- राज्य के नीति निर्देशक तत्व
- मौलिक कर्तव्य
- स्वतंत्र न्यायपालिका
- सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार
- एकल नागरिकता
- कानून का शासन
- स्वतंत्र संबैधानिक संस्थाएँ
- कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण
- धर्मनिरपेक्षता और कानून के समक्ष समानता



सत्यमेव जयते



QUICK REVISION



1934



एम.एन. रॉय

1946



संविधान सभा

1947



प्रारूप समिति

बी.आर. अम्बेडकर



प्रारूप समिति
के अध्यक्ष

26 नवम्बर
1949



संविधान
अंगीकृत

26 जनवरी
1950



संविधान
लागू